मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 09.04.2020

फों क्र. 223 / 21–ब(दो), राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग द्वारा नियुक्त तथा वर्तमान मे कार्यरत् शासकीय अधिवक्तागण श्री राजेश्वर राव, जबलपुर, श्री अमोल श्रीवास्तव, इंदौर एवं श्री आदित्य सिंह घुरिया, ग्वालियर को छोड़कर तथा जिन विधि पदाधिकारियो को उनके त्यागपत्र के अनुक्रम मे इस विभाग के आदेश दिनांक 28.03.2020 द्वारा कार्यमुक्त किया जा चुका है, को भी छोड़कर, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर / ग्वालियर मे राज्य शासन द्वारा नियुक्त एवं वर्तमान मे कार्यरत् शासकीय अधिवक्ता जबलपुर श्री जैरी लोपेज एवं शासकीय अधिवक्ता, इंदौर श्री सोम मिश्रा को उनके त्यागपत्र स्वीकार कर तथा शेष समस्त विधि अधिकारियो की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उन्हे कार्यमुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्र. 223 / 21–ब(दो) / 2020 भोपाल, दिनांक 09 / 04 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,
2. महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर / ग्वालियर,
4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम (टी.एम.) लेखा भवन, झांसी रोड, म.प्र. ग्वालियर,
6. संबंधित विधि पदाधिकारी द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर / ग्वालियर,
7. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल–6, की ओर सूचनार्थ तथा म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक मे अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने हेतु अपेक्षित,
8. आई.टी. प्रकोष्ठ, विधि विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु,

9.4.20

(संतोष प्रसाद शुक्ल)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

CS Scanned with CamScanner